



SAFETY FIRST! PROTECTIVE GEAR FOR HEALTHCARE WORKERS

सुरक्षा पहले!
स्वास्थ्यकर्मी के लिए सुरक्षात्मक गियर


Mask
मास्क




Face shield
मुखड़ा कवच



Goggles
चश्मे



Cap
टोपी



Gloves
दस्ताने



Boots
जूते



Apron
तहबंद



KEEP HOSPITALS CLEAN AND SAFE BY IDENTIFYING HAZARDS AND RISKS OF BIOMEDICAL WASTE

अपने अस्पताल को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए बायोमेडिकल कचरे से सम्बंधित खतरों एवं संकट को समझें

Anatomical waste, chemical waste, soiled waste, chemotherapy waste, discarded linen and medicines and laboratory waste



शारीरिक, रासायनिक, गंदा कपड़ा, दवाइयों सम्बंधित एवं प्रयोगशाला कचरा

Contaminated plastic waste



दूषित प्लास्टिक कचरा

Glass waste and metallic implants



कांच की वस्तुएं एवं धातु प्रत्यारोपण

Metal sharps



धारदार धातु कचरा

Place the waste in designated colour coded bins

कचरे को उचित कूड़ेदान में ही डालें

Hazardous and Other waste*



परिसंकटमय और अन्य कचरा

Recyclable General waste



पुनर्चक्रण योग्य कचरा

Biodegradable General waste



स्वाभाविक तरीके से सड़ने वाला सामान्य कचरा

* Labelling as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

क्वारेन्टाइन कैंप एवं घरों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश

घरों से निकलने वाले साधारण कचरे को अधिकृत सफाई कर्मचारी को दें या फिर उपयुक्त स्थानीय तरीकों द्वारा उसका प्रबंधन करें।

साधारण कचरे एवं बायोमेडिकल कचरे के कूड़ेदान अलग होने चाहिए।

क्वारेन्टाइन कैंप एवं केन्द्रों को चलाने वाले लोगों को समय-समय पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा कर्मचारियों को बुलाकर कचरे को भेजना चाहिए।

क्वारेन्टाइन कैंप एवं केन्द्रों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे को पीले रंग के लाइनर में इकट्ठा करें। इन थैलों को समर्पित एवं उचित माप के कूड़ेदान में रखें।

जो लोग क्वारेन्टाइन घरों की देखभाल कर रहे हों वह बायोमेडिकल कचरे को पीले रंग के लाइनर में इकट्ठा कर या तो दरवाजे पर आने वाले अधिकृत सफाई कर्मचारी को दें या फिर अधिकृत केंद्रों में दें।



Centre for Chronic Disease Control
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India



Ministry of Environment, Forest & Climate Change



PUBLIC HEALTH FOUNDATION OF INDIA



CENTRE FOR ENVIRONMENTAL HEALTH



Health e-Care
Without Hassle



HEALTH e-CARE
IMPROVING

COVID-19 वार्ड, सैपल कलेक्शन केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन

COVID-19 संबंधित बायोमेडिकल कचरे की जानकारी अलग रिकॉर्ड करें। COVID-19 आइसोलेशन वार्ड एवं सैपल कलेक्शन सेंटर की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवश्य दें।



« बायोमेडिकल कचरे का प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 जो कि पोस्टर संख्या 1 और 5 में दिए हुए हैं उनके अनुसार करें।

बायोमेडिकल कचरे को साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजने से पहले अलग कमरे में रखें।

COVID-19 संबंधित बायोमेडिकल कचरे का केवल समर्पित एवं "COVID-19" के लेबल वाली ट्रॉली से स्थानांतरण करें।



« COVID-19 संबंधित बायोमेडिकल एवं साधारण कचरे को सँभालने के लिए केवल समर्पित सफाई कर्मचारी नियुक्त करें।

बिना सद्दूषण वाले साधारण कचरे का प्रबंधन टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार करें।

बायोमेडिकल कचरे को आइसोलेशन वार्ड से सीधे उठाकर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा द्वारा भेजे वाहन में भेजा जा सकता है।

COVID-19 संबंधित कचरे को दोहरी परत के लाइनर में ही इकट्ठा करें।

« COVID-19 संबंधित बायोमेडिकल कचरे को जिन कूड़ेदान एवं ट्रॉलियों में रखा जाए उन्हें प्रति दिन 1% हाइपोक्लोराइट घोल से अच्छी तरह साफ करें।

बायोमेडिकल कचरे को उचित रंग के कूड़ेदान जिनपर "COVID-19" का लेबल लगा हो उन्हीं में इकट्ठा करें। शहरी स्थानीय निकायों/ कचरा इकट्ठा करने वाले अधिकृत कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किये गए पीले लाइनर को CBWTF भेजा जाना चाहिए।

